कुचक्री राजनीतिक दलों के खिलाफ निर्दोष नागरिक समाज की उल्लेखनीय सफलताएं

लोकतंत्र में हो रही है आस्था की बहाली

सामयिक

बारह सौ गैरसरकारी संगठनों ने मिलकर इलेक्शन वॉच बनाया है। कई लोग इसमें स्वैच्छिक तौर पर सक्रिय हैं। वे उम्मीदवार के आपराधिक अतीत का जोर-शोर से प्रचार करते हैं, जिसका मतदाताओं पर असर होता है।

गुरचरण दास

एक और चुनाव आए और गए। कर्नाटक में चुनाव की धूल जमते-जमते, इलेक्शन वॉच नामक संगठन ने एक रिपोर्ट में बताया है कि नवनिर्वाचित विधानसभा के 224 विधायकों में से 40 विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। चुनाव लड़ने वालों में तीन भाई भी थे - तीनों का ही आपराधिक रिकॉर्ड था। कम से कम एक की जीत सुनिश्चित करने के लिए तीनों ने तीन प्रमुख पार्टियों, कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस के टिकट हासिल कर लिये। तरकीब काम आई - भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला जीत गया।

राजनीति में अपराधियों की मौजूदगी अब नई बात नहीं रही। जब कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वालों की जमात में जा बैठें तो निराशा स्वाभाविक है। लेकिन तो भी भविष्य के बारे में आशान्वित होने के कई कारण हैं। कर्नाटक में इस बार 20 प्रतिशत कम अपराधी चुने गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जाफर शरीफ एक कुख्यात अपराधी समीउल्लाह को स्थानीय चीख-पुकार के कारण कांग्रेस का टिकट नहीं दे पाए। गुजरात, दिल्ली, मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी अपराधी विधायकों की संख्या कम हुई है। यहां तक कि भ्रष्ट उत्तर प्रदेश में भी 2007 में अपराधी विधायकों की संख्या 206 से घटकर 160 हो गई थी। बिहार मंत्रिमंडल में कोई अपराधी नहीं है। इलेक्शन वॉच जैसी संस्थाओं के दबाव के चलते भाजपा और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों का चयन ज्यादा सावधानीपूर्वक करने लगी हैं।

इस बेहतरी के लिए राष्ट्र को भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नब्बे के दशक में राजनीति के अपराधीकरण से आजिज आकर उन्होंने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नामक संस्था बनाई। इस स्वैच्छिक गैरसरकारी संगठन ने 1999 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके मांग की कि चुनाव के समय चुनाव आयोग मतदाताओं को प्रत्याशियों के आपराधिक अतीत की जानकारी मुहैया कराए। वे जीत गए। सरकार और दलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, मई 2002 में आईआईएम के प्रोफेसर वह भी जीत गए। तब 21 पार्टियों ने अभूतपूर्व एकजुटता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने की धमकी दी, नतीजतन सरकार जल्दबाजी में एक अध्यादेश लाई। 2003 में उसे भी कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया। यही कारण है कि आज विधानसभा और संसद का चुनाव लड़ने वाले हरेक उम्मीदवार को नामांकन के समय अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का ब्योरा देना पड़ता है। चूंकि न्यायपालिका से अंतिम फैसला होने में बरसों लग जाते हैं इसलिए आपराधिक मामलों का खुलासा ही संभव सर्वश्रेष्ठ कदम था। यही बड़ा कदम साबित हुआ। साधारण नागरिक अब रिटर्निंग ऑफीसर या जिला निर्वाचन अधिकारी से उम्मीदवारों के हलफनामे की मांग कर सकते हैं। कई मामलों में इलेक्शन वॉच ने पाया कि उम्मीदवार ने हलफनामे में झूठ बोला है। इसकी सूचना भी उन्होंने चुनाव आयोग को दी।

कर्नाटक में इलेक्शन वॉच ने राजनीतिक दलों पर दबाव डाला, जिससे दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में कम अपराधी राजनीतिज्ञ मैदान में थे। ऐसे ही नागरिक दबावों के चलते सितंबर 2003 में चुनाव खर्चों को लेकर एक विधेयक पारित किया गया। इससे एक बड़ी विसंगति दूर हुई और अब उम्मीदवार की ओर से किए गए सभी खर्चों को शामिल किया जाता है और देखा जाता है कि उसने तय सीमा से ज्यादा खर्च तो नहीं किए हैं। पिछले महीने केंद्रीय सूचना आयोग ने व्यवस्था दी है कि लोग राजनीतिक दलों के आयकर रिटर्न की मांग कर सकते हैं और इससे भी नागरिकों के सूचना के अधिकार को काफी संबल मिलेगा। ये सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ नागरिक समाज की सफलताएं हैं। लिहाजा भविष्य के प्रति आशावान हुआ जा सकता है। यह भी इतना ही सही है कि कुछेक दृढ़संकल्पी लोग समूचे राजनीतिक वर्ग के छल-प्रपंचों का मुकाबला कर सकते हैं और इसमें हमारी दो सम्मानीय संस्थाएं, न्यायपालिका और चुनाव आयोग, उनकी मदद करेंगे। इससे लोकतंत्र में हमारी आस्था बहाल होती है।

(लेखक प्रॉक्टर एंड गेम्बल के चेयरमेन व एम.डी. रह चुके हैं।)